झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–05

द्वादश (मॉनसून) सत्र
गुरूवार, दिनांकः–03 अगस्त, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 3:30 अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ:–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–24

(क) उत्तरित कुल–02 अ०सू०–01, श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स०
अ०सू०–02, श्री समीर कुमार महान्ती, स०वि०स०

(ख) अनागत कुल–22 क्रम संख्या–82 से 103 तक।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–50

(क) अनागत कुल–50 क्रम संख्या–138 से 187 तक।

2. सूचना दिया जाना

1. श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 ने माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो के धरना पर बैठने की सूचना आसन को दिया। साथ ही उन्हें ससम्मान सदन के अंदर बुलाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0 एवं श्री नवीन जयसवाल, स0वि0स0 को अधिकृत किया गया।
2. माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने आसन को सूचना दिया कि माननीय सदस्य डॉ0 इरफान अंसारी ने हमारे नेता माननीय बाबूलाल मराण्डी जी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किये हैं, जिसके लिए उन्हें सदन के अंदर माफी मांगनी चाहिए। तत्पश्चात् डॉ0 इरफान अंसारी ने सदन में कहा कि अगर मेरे किसी बात से माननीय बाबूलाल मराण्डी जी एवं आदिवासी समाज को ठेस लगा है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ।

(शोरगुल एवं अव्यवस्था के कारण 11:20 बजे पूर्वा० में सदन की कार्यवाही 12:00 मध्या० तक के लिए स्थगित)

(स्थगनोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(विभिन्न विपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा माननीय सदस्य डॉ0 इरफान अंसारी द्वारा पूर्व में सदन में दिये गये वक्तव्य पर आपत्ति जताते हुए सदन में माफी मांगने की मांग पर कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री आलमगीर आलम द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विधायक दल के नेता होने के नाते माननीय सदस्य डॉ0 इरफान अंसारी की तरफ से मैं सदन से क्षमा माँगता हूँ। इसी क्रम में माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने

क्र०पृ०उ०

विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन में अव्यवस्था फैलाने के लिए जिम्मेवारी लेते हुए मुख्य सचेतक, विपक्षी दल श्री बिरंची नारायण से भी माफी मांगने की मांग आसन से किया।)

3. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सभी सूचनायें पढ़ा हुआ मानते हुए संबंधित विभाग को भेजने का निदेश आसन से दिया गया।

(शोरगुल एवं अव्यवस्था के कारण पुनः 12:13 बजे अप० में सदन की कार्यवाही 02:00 अप० तक के लिए स्थगित)

(अंतराल)

4. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर –

1. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, श्रीमती जोबा मांझी द्वारा झारखण्ड राज्य महिला आयोग (वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2008 की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।
2. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, श्रीमती जोबा मांझी द्वारा झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नियमावली, 2011 की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।
3. वाणिज्य–कर विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजिविकाओं और रोजगार पर कर नियमावली, 2012 की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली, 2011 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–7025, दिनांक–15.11.2011 की प्रति सभा पटल पर रखा गया।
5. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2023 के निहित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, 2020–2022 (01 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2022 तक) की प्रति सभा पटल पर रखा गया।

5. सभा मेज पर प्रतिवेदन का उपस्थापन

1. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(i) के तहत् विशेष समिति के सदस्य श्री नलिन सोरेन, स0वि0स0 के द्वारा पूर्व अध्यक्षों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराये जाने संबंधी गठित विशेष समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित किया गया।
2. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(i) के तहत् संयोजक, श्री रामचन्द्र चंद्रवशी, स0वि0स0 के द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन के संबंध में गठित विशेष समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित किया गया।
3. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(i) के तहत् श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा पंचम् झारखण्ड विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित किया गया।

6. आसन से सूचना

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–263(1) के तहत् चलते सत्र में दिनांक–28.07.2023 से 02.08.2023 तक कुल–39(उनचालीस) निवेदन स्वीकृत हुआ, जिसे सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेजे जाने की सूचना आसन से दी गयी।

7.विधायी कार्य

झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्त्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

उक्त विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव, जो माननीय सदस्य सर्वश्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0, अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0, डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0, अमर बाउरी, स0वि0स0, नवीन जयसवाल, स0वि0स0, एवं अमित कुमार मण्डल, स0वि0स0, द्वारा प्रस्तुत किए गए, ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ। विधेयक के मूल पाठ में माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा खण्ड–23 एवं 29(1) में प्रस्तुत संशोधन को ध्वनिमत से अस्वीकृत किया गया तथा खण्ड–27 में प्रस्तुत संशोधन सदन द्वारा स्वीकृत किया गया। साथ ही प्राप्त अन्य संशोधनों के प्रस्तावकों की अनुपस्थिति के कारण अप्रस्तावित संशोधनों को अस्वीकृत किया गया।

इसी क्रम में सदन नेता–सह–माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक अपनी बातों से सदन को अवगत कराया एवं विधेयक के विभिन्न खण्डों में संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों के मद्देनजर खण्ड–12 मे संशोधन का सदन से आग्रह किया, जो ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के ''खण्ड–02'', ''खण्ड–03 एवं 04'', ''खण्ड–05'', ''खण्ड–06–10'', ''खण्ड–11'', ''खण्ड–12''(यथासंशोधित), ''खण्ड–13'', ''खण्ड–14–22'', ''खण्ड–23'', ''खण्ड–24–26'', ''खण्ड–27''(यथासंशोधित), ''खण्ड–30–33'', ''अनुसूची 01 एवं 02'', ''खण्ड–01'', ''प्रस्तावना'' तथा ''नाम'' बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्त्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(इसी क्रम में विपक्षी सदस्यों का 3:04 बजे अप० में सदन से बहिर्गमन)

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक–04 अगस्त, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–03 अगस्त, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।